

पत्रावली दर्ज रजिस्टर प्रतियाही को सम्मान
जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक
20/07/2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली पेश हुई। भूमि अधिकार सच द्वारा आग्रह
कार्य स्थागित करने से पत्रावली द्वारा
दिनांक 26/07/2023 को पेश हो।

S.O.O.

26/07
2023

पत्रावली पेश हुई P.O. साख्त R.O. जीठिन
... से ... को पेश की जावे।
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
22/08/2023 को पेश की जावे।

S.O.O.
S.O.O.

22/08
2023

पत्रावली पेश हुई अग्र पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय में अपील करके कार्य स्थगित
करने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
19/09/2023 को पेश की जावे।

S.O.O.
S.O.O.

कार्यवाही
नहीं जास्ता है

Not
Practis



वकील वकील

19/09
2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष कारण उपस्थित।
वकील वकील द्वारा पत्रावली में Not-Practis कर
निवेदन किया कि पत्रावली में कोई अग्रिम
कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। वकील

वादी द्वारा पत्रावली में Not-press करने व
कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहने से पत्रावली
को इसी स्तर पर बिट्टी में खारिज की जाती
है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज
रजिस्टर से काम की जाकर शामिल दफ्तर
है।

उपखण्ड अधिकारी
रावूचभाय